of Slum Clearance/Improvement, which was started in 1956. Under this Scheme open developed plots or tenements are provided to slum dwellers who are dis-housed as a result of clearance operation. The Scheme also contemplates improvement of slum dwellings so as to make them habitable. The second Scheme is that of Environmental Improvement in Slum Areas which was started in 1972. Under this Scheme, slum areas which are not required for clearance for at least 10 years are taken up for provision of basic amenities like water supply, including water taps, drainage facilities, widening and paving of lanes, etc. In the draft Fifth Five Year Plan, it is proposed to cover slum areas in all cities with a population of three lakhs and above under the Scheme or at least one city in such of those States which do not have any city with a population of three lakhs or above. The Schemes are in the States Sector and are being implemented by the State Governments.

High-power cell to observe implementation of voluntary cut in prices

1976. SHRI M. S. PURTY: Will the Minister of AGRICULTURE & IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the Programme Implementation Committee (Delhi) has appointed a high-power cell to observe the implementation of voluntary cuts in prices by various trade; and

(b) if so, the progress made?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI ANNASAHEB P SHINDE): (a) Yes, Sir.

(b) The High-Power Cell has so far checked the shops in the following areas to find out whether the traders have actually reduced the prices, as promised by them:—

Azad Market, Bahadurgarh Road, Teliwara, Kishan Ganj Chowk, Mor Sarai, Korea Bridge, Church Road, Hauz Quazi, Billimaran, Hauz Khas, Chotta Bazar (Shahdara), Ajmal Khan Road, Krishan Nagar, Jheel (Shahdara), Bank Street, Rajauri Garden, Connaught Place, Ajmal Khan Park, W.E. Area, Khan Market.

Recommendations of Indian cashewnut Development Council

1977. SHRI C. JANARDHANAN: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 534 on 26th April, 1976 regarding Indian Cashewnut Development Council and state:

(a) whether any decision has been taken on the recommendation of the meeting of the Indian Cashewnut Development Council held on 30th March, 1976 at Cochin; and

(b) if so, the gist thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI PRABHUDAS PATEL): (a) and (b). The recommendations of the Development Councils are passed on to the relevant Departments/Organisations for suitable action. In the case of recommendations made by the Indian Cashewnut Development Council at its 8th meeting, the matter is being followed up with the concerned Departments/Organisations for finalisation of action on their part.

मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड को दिए गए अनुदान

1978. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974 से मार्च 1976 तक की अवधि में वर्षवार, आवास गृह निर्माण हेतु मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड को कितना कितना अनुदान दिया गया ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाने हेतु मध्य प्रदेश आवास बोर्ड को वर्ष 1974-75 और 1975-76 के दौरान क्रमश: 20 लाख रुपये और 16 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए गए थे।

मध्य प्रदेश में अनाज रखने की अतिरिक्त क्षमता

1979. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री मध्य प्रदेश में केन्द्रीय भण्डार निगम के गोदामों के बारे में 3 मई, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3166 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मार्च, 1973 से मार्च, 1976 तक की अवधि में क्षमता में कितनी वृद्धि की गई है और कितने गोदाम किराये पर लिये गये और अलग अलग वर्षों में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम के पास दस लाख मीटरी टन अनाज जमा करने के लिये गोदाम हैं और यदि हां, तो उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित अवधि के दौरान इन गोदामों में अलग-अलग वर्षवार कितना अनाज जमा किया गया ; और

(ग) इसमें से कितना अनाज, वर्षवार खराब हुआ, कितना अन्य जन्तुओं (रोडेंट्स) ने खा लिया या खराब कर दिया और मानव के खाने के योग्य नहीं रहा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने इस अवधि में निजी तथा किराये पर ली गई क्षमता समेत 29,645 मीटरी टन क्षमता बढ़ायी थी। किराये पर लिये गये गोदामों की संख्या और केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा उनके लिये दी गई राशि इस प्रकार है :—

वर्ष	गोदामों की संख्या	वर्ष के लिये रुपयों में किराया
1973-74	6	16,507.80
1974-75	10	51,740.60
1975-76	16	1,55,584.76

(ख) इस समय मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध भण्डारण क्षमता (निजी तथा किराये की) लगभग 10 लाख मीटरी टन है। गोदामों में भण्डारित खाद्यान्नों (चीनी समेत) का स्टाक इस प्रकार था :—

(हजार मीटरी टन में)

निम्नलिखित माह के अन्त में	चीनी समेत खाद्यान्नों का स्टाक
मार्च, 1973 .	229.40
मार्च, 1974 .	167.70
मार्च, 1975 .	81.40
मार्च, 1976 .	549.70

(ग) भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भाण्डागार निगम आदि जैसी सरकारी क्षेत्र की ऐजेंसियों के गोदामों में अच्छे ढंग से स्टाक रखे जाते हैं और परिरक्षण सम्बन्धी उपयुक्त तकनीक अपनाई जाती है तथा चूहों के रोक-